सूचना

दिनांक 01.01.2010 से

1.. अपना परिचय पत्र इस तरह धारित करें कि सुरक्षा कर्मी स्वतः ही देख लें। परिचय पत्र हेतु फार्म S1 में आवेदन करें।

2 जिन वाहनों पर सुरक्षा विभाग द्वारा जारी 2012 की वैद्यता वाले स्टिकर्स चस्पा होंगे अथवा वि0वि0 के अतिथि होने पर, उन्हें मुख्य द्वार से आवागमन की स्वतः अनुमति होगी। स्टिकर्स प्रपत्र S3 भरकर सुरक्षा विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

3. परिसरवासियों को, उनके वाहन पर सुरक्षा विभाग द्वारा स्टिकर्स चस्पा न होने की दशा में, परिचय पत्र दिखाने पर मुख्य द्वार पर रक्षित पंजिका में प्रविष्टियॉ पूर्ण करने के उपरान्त ही आवागमन की अनुमति दी जायेगी।

4. जिन वाहनों पर सुरक्षा विभाग द्वारा जारी स्टिकर्स चस्पा नहीं होंगे, उन्हें मुख्य द्वार से परिसर में प्रवेश हेतु अनुमति प्रपत्र S 12 भराकर कार्य आधार पर सम्बन्धित वि0वि0 अधिकारी/कर्मचारी/छात्र/परिसर निवासी के सत्यापन होने पर 'आगन्तुक पास' दिया जायेगा। ऐसे सभी आगन्तुकों को वाहन के कागजात मुख्य द्वार पर जमा कराने होंगे, जिनको वे वापसी में उसी मुख्य द्वार से प्राप्त कर सकेंगे।

5. इस द्वार का प्रयोग केवल पन्तनगर विश्वविद्यालय परिसर में ही आने–जाने हेतु विश्वविद्यालय सुरक्षा विभाग द्वारा निर्गत पास दिखाने पर अथवा आज्ञानुसार किया जा सकता है।

6 परिसर में यदि कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसकी सूचना/अनुमति सुरक्षा विभाग को फार्म S4 एवं S5 में भर कर अवश्य दें।

7. यह आदेश पैदल, साइकिल, रिक्शा व अन्य मोटराइज्ड वाहनों सहित सभी पर एक समान लागू होगा।

8. सुरक्षा कर्मियों से वहस न कर उन्हें दिये निर्देशों का पालन करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

9 परिसर वासियों की सुख शान्ति हेतु अपने सुझाव भी लिखित रूप में सुरक्षा विभाग को समय–समय पर देते रहें।

10 परिसर में अवांछित व्यक्तियों के आवागमन पर तुरन्त सुरक्षा विभाग के दूरभाष संख्या <u>9838595671/233587</u> पर सूचित करें।

आज्ञा से

निदेशक, प्रशासन